बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–1/निदे0 छात्रावास(सामग्री एवं पूत्तियाँ)03–61–03/2015(खण्ड)– 22

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 08.06.17

विषय: **वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु0 जन जाति कल्याण विभाग से संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं अनुसूचित जाति के लिए सामान्य छात्रावासों में सामग्री व पूत्तियाँ मद में ₹ 1650.00 लाख (सोलह करोड़ पचास लाख रू0) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

2– राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष–2017–18 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं अनुसूचित जाति के लिए सामान्य छात्रावासों में सामग्री व पूत्तियाँ मद में **₹ 1650.00 लाख (सोलह करोड़ पचास लाख रू0)** मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत राशि से छात्रावासों में चौकी, मैट्रेस, डेस्क–बेंच, वाटर प्युरिफायर, कुर्सी, टेबुल, आलमीरा, बर्तन, खेल सामग्री, टी0 भी0, पंखा, अग्निशमन यंत्र आदि का आपूर्ति किया जायेगा।

3– स्वीकृत राशि का व्यय राज्य स्कीम मद से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उप मुख्यशीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तियां–मांग संख्या–44–विपत्र कोड संख्या–44-2225012770101 के अन्तर्गत विकलनीय है।

4– इस स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस स्वीकृति के आलोक में सामग्री व पूत्तियाँ मद की गत वर्ष के बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नही किया जाएगा।

5– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा ।

6– महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। साथ ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

7– राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होगें तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

8– प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन सं0 1/निदे0 छात्रावास(सामग्री एवं पूत्तियाँ)03–61–03/2015(खण्ड)– के पृ0– 60/टिप्पणी पर प्राप्त है।

9– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

8.6.17

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–1/निदे0 छात्रावास(सामग्री एवं पूर्तियाँ)03–61–03/2015(खण्ड)– 22 पटना, दिनांक– 08.06.17

प्रतिलिपि— (1) वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) (i) निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक(क0) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर,/संबंधित प्रशाखा पदा0, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदा0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7.6.17.
सरकार के सचिव।